APP. A
Crim-1

FORM NO. III

फर्द अहकाम ग्राम नयांगाव

(नियम 26)

अदालत तहसीलदार मुकाम महुवा

सरकार बनाम धरमी डा० बुद्दा जाति मीना

किस्म मुकदमा धारा 91 LR ACT नं. 234/17 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/12/17	पटवारी हल्का की रिपोर्ट दर्ज कर अतिक्रमी को राज. भू. राजस्व अधि. 1956 धारा 91 का नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 10/1/18 को पेश हो। तहसीलदार महवा, दौसा	
10/1/18	पत्रावली पेश हुई आवाज लगवाई गई अतिक्रमी उपस्थित आया है अतिक्रमी द्वारा जवाब पेश करने हेतु समय चाहा गया है न्यायहित में समय दिया जाता है पत्रावली दिनांक 16-01-18 को पेश हो तहसीलदार	विमल मीना (पोता)
16/01/2018	पत्रावली पेश हुई आवाज लगवाई गई अतिक्रमी उपस्थित ~~आय~~ नहीं आया है न्यायहित मे अतिक्रमी को पुन: नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 25/01/18 को पेश हो।	
25/01/18	पत्रावली पेश हुई आवाज लगवाई गई अतिक्रमी की ओर से पोता उपस्थित आया है। आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी राज्य कार्य से बाहर दौरे पर पधारे हुए है। पत्रावली	विमल मीना (पोता)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	
1/2/18	पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई। अतिक्रमी की ओर से विमल मीना (पौता) उपस्थित आया है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 12/2/18 को पेश हो। तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	विमल मीना (पौता)
12/2/18	पत्रावली पेश हुई आवाज लगवाई गई अतिक्रमी की ओर से विमल मीना पोता उपस्थित आया अतिक्रमी द्वारा कोई तैज साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये गये। पटवारी हल्का के बयान लिए गये तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण की फर्द बेदखली पेश की गई जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 19/2/18 को पेश हो। तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	विमल मीना
19/2/18	पत्रावली पेश हुई आवाज लगवाई गई अतिक्रमी का पोता उपस्थित आया। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 26/2/18 को पेश हो। तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	विमल मीना (पोता)
26/2/18	पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई। अतिक्रमी की ओर से पौता उपस्थित आया है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया है। अतः ग्राम मुआगांव की अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर [illegible]	विमल मीना (पोता)

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

[...] 234/17 तारीख रजू 22/1/17 रिपोर्ट पटवारी हल्का [...] बनाम [...]रमी पुत्र [...] जाति मीना निवासी [...] तहसील महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 26/2/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री [...]रमी ने ग्राम [...] को भूमि ख.न. 113 रकबा 0.01 किस्म गैरमुमकिन [...] फसल रबि / ~~खरीफ~~ संवत 20 74 में गेहूँ कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। ~~उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया~~ उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव मे कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नही किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नही है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 113 रकबा 0.01 किस्म गैरमुमकिन [...] वाके ग्राम [...] से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 0.44 [...]50 गुणा 22 रू. शस्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खडी फसल गेहूँ को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को ~~नष्ट~~ / नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

तहसीलदार
तहसील-महवा (दौसा)

तहसीलदार महवा

रजिस्टर [...] के पेज नं. 114 पर वर्ष 2017-18 की राशि [...] 22 रू. की जमा कायमी [...] दिनांक 8/3/18

Roshey

[...] तहसील-महवा